



Research Paper

महिलाओं का संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति जागरूकता एक समाजाशास्त्रीय अध्ययन

आकॉक्षा रिसर्च स्कॉलर बी.एस. कॉलेज (मथुरा)
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (आगरा)
डॉ मधु त्यागी (विभागाध्यक्ष), एसोसियेट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग, बी.एस.ए. कॉलेज मथुरा

सारांश

यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता

भारतीय मान्यता के अनुसार जहाँ स्त्रीयों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

भारतीय समाज में सुजन और मानवीय सम्मति के विकास में स्त्री व पुरुष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूर्ण रूप से सहयोगी हैं।

आज वर्तमान समय में महिलायें पुरुषों से आगे हर विभाग में कार्यरत हैं हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गये अधिनियमों की विवेचना करते हैं, तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी को लेकर बहुत सारे कानून बनाए गये हैं। परन्तु उनको कानूनी शिक्षा के अभाव में उन्हें कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें कौन-कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति कितना जागरूक है इसका अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया है।

कीवर्ड :- महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, कानूनों के प्रति जागरूकता।

Received 02 August, 2022; Revised 14 August, 2022; Accepted 16 August, 2022 © The author(s) 2022. Published with open access at www.questjournals.org

प्रस्तावना

प्राचीन काल से वर्तमान युग तक नारी के संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है कहा जाता है 1000 वर्षों से पराधीनता में रहने वाली एकमात्र जाति "नारी" ही है। इसी कारण स्त्री को अंतिम उपनिवेश की भी संज्ञा दी जाती रही है।

भारत में विभिन्न प्रदेशों की स्थिति को अगर देखा जाए तो कुछ राज्य शीर्ष पर हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश विहार, राजस्थान, असम, महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध घटित हो रहे हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कढ़ार कानून निर्मित किए जा रहे हैं। किन्तु जब तक पुरुष तथा समाज की मानसिकता में कोई सुधार नहीं आयेगा ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि हर समस्या का जन्म समाज से होता है। भारतीय संविधान देखा जाए तो महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किया गए हैं। इसके साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन स्वयं महिलाओं को उत्तीर्ण से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। जिसके लिए भारत में विशेष रूप से कोई आदेश नियम नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विशेष रूप से यौन शोषण के रूप में देखी जाती है। आज आयु सामाजिक- आर्थिक स्थिति, धर्म-जाति, आदि की परवाह किए बिना महिलाओं के विरुद्ध सम्पूर्ण समाज में व्याप्त छूटे हैं।

महिलाओं के अधिकार

संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही मौलिक स्वंत्रताएं तथा अधिकार प्रदान किए गये हैं। भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति सम्मान का विवेचन किया गया है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेकों वैधानिक उपायों को भी उपबोधित किया गया है। विश्वभर में महिलाएं बिना भेदभाव, अन्याय या हिंसा के बिना डरे अपनी प्रगति कर सकें और समाज के उत्थान एवं विश्व शान्ति में अपना पूर्ण योगदान दे सकें, महिलाओं को सम्पूर्ण विश्व में एक सम्मानीय स्थान प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को विश्व महिला वर्ष घोषित किया गया था।

भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी, यह आयोग संवैधानिक संस्था है। जो महिलाओं के अधिकांश के प्रति सजग है, और मुख्य रूप से लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश सदियों की दासता व उतार चढ़ाव के पश्चात नये गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। इस के साथ-साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बीसीएचएनई हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना बीएचआई की गयी है।

महिलाओं के अधिकारों के लिये भारतीय संविधान में निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं—

1. (अनु०-14) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार — भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरुष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों का प्राप्त होगा।
2. (अनु०-15) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार “राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद भाव नहीं करेगा” भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही इस अनु० के खण्ड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी कि गयी है।
3. (अनु०-19) : अनु० 19 महिलाओं को स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतन्त्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सकें। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।
4. (अनु० 23-24) : अनु० 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान समान के विपरीत मानते हुए उनकी खरीद-फरोख्त, वैश्या-वृत्ति, कराना आदि को दंडनीय अपराध कि श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सन् 1956 में “वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट” भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।
5. (अनु०-39) : अनु० 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु० 39(द) के अनुसार समन कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। जिससे उन्हें आर्थिक न्याय कि प्राप्ति हो सके।
6. (अनु० – 42) : अनु० 42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है।
7. (अनु० – 46) : अनु० 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधनी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।
8. (अनु० – 51) : संविधान के भाग 4 के अनु० 51 (क) तथा (3) में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार कि प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान समान के खिलाफ हों।
9. (अनु०-243) : अनु० 243 (द) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भेरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे।
10. (अनु० – 325) : अनु० 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में तहला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

९

विधिक उपबंध

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गए हैं। ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेद भाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पीआर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गयी है।

1. (धारा 292 से 294 के तहत) : धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टा और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पीआर रोक लगाई गयी हैं। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियों के अशालील चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं अथवा कोई खरीद फरोख्त की जाती है अथवा अशालील प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं 2 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है।
2. (धारा 312 से 318 के तहत) : धारा 312 से 318 के तहत यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है, अजन्मे शिशुओं को नुकसान पहुंचाता है, शिशुओं को अरक्षित छोड़ता है तथा जन्म छिपाता है तो इस कार्य के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।
3. (धारा – 354) : धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
4. (धारा-361) : धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के संरक्षण के बिना सहमति के या उसे बहला-फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोष होगा तथा उसके खिलाफ धारा 363 से 366 में दंड का प्रावधान किया गया है।

5. (धारा – 372) : धारा 372 के तहत यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वैश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

6. (धारा 375–376) : धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है तथा धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है।

7. (धारा 498) : धारा 498 (अ) के अनुसार यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार उसकी पत्नि के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

8. (धारा–509) : धारा 509 के अनुसार यदि कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई इस प्रकार का कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

कटियार, श्रद्धा, (2005) ने उन्नाव और कानपुर जनपद में समेकित बाल विकास योजना के अपने मूल्यांकन अध्ययन में लिखा है कि यह योजना छोटे बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं/किशोरियों को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जाती हैं इन सेवाओं को आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों तथा सहायिकाओं द्वारा सामुदायिक संरचनाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के द्वारा प्रदान की जाती हैं यह योजना सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु आधार प्रदान करती है। यह निर्धन परिवार की लड़कियों को बच्चों की देखभाल के दबाव से निजात दिलाती है और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता के योग्य बनाती है।

यू.बी. सिंह, (2006) ने अपनी पुस्तक नगरीय अवस्थापना सुविधायें (परिप्रेक्ष्य एवं नणनीति) भारत में नगरीय अवस्थापना सुविधायें (परिप्रेक्ष्य एवं रणनीति), में लिखा है। कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गरीबी मात्र आर्थिक विपन्नता से ही सम्बद्ध नहीं है बल्कि उसके पास समुचित आवास नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा तथा पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधायें लगभग नगण्य हैं। कुपोषण, भुखमरी, बीमारी, प्रदूषण, गन्दगी से जूझता भारतीय शहरों का एक बड़ा वर्ग है जो अपनी मूलभूत सूविधाओं से वंचित रहा है जिसमें महिलाओं की काफी अधिक संख्या है।

सिंह, दिव्या (2007) ने सुल्तानपुर जनपद में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का शोध अध्ययन किया। साक्षात्कार विधि पर आधारित इस शोध अध्ययन में उन्होंने पाया कि महिलाओं को आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्मनिभर बनाकर महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। उन्होंने अपने अध्ययन में 300 महिलाओं का साक्षात्कार लिया।

शर्मा एवं मिश्रा (2016) ने वर्णन किया है कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है पर वास्तविकता यह है कि महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है महिलाओं के अधिकारों को वास्तव में विशेष सीन नहीं मिल पाया है। प्रायः इन अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए अनेक कानून बनाये जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं इन सब प्रयासों से पूर्णत लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। इसका प्रमुख कारण— महिलाओं में इसके प्रति चेतना का अभाव है अगर उन्हें इसके बारे में कहीं से पता चल भी जाता है, तो परिवार एवं समाज की परम्पराएँ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर महिलायें अपने अधिकरों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना।
2. महिलाओं में संवैधानिक अधिकरों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को बढ़ाने में अशिक्षा, सुरक्षा सम्बन्धित अधिकारों की कमी, मादक पदार्थों का दुरुपयोग आदि कारण है। महिलाओं में अनेक मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना भारत सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए परम आवश्यक साथ में सुरक्षा सम्बन्धित अधिनियमों की जानकारी से समाज की महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।

देश में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है, मगर इसके बावजूद भी लोक सभा तथा राज्य विधान मण्डलों में उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। महिलाओं में साक्षात्कार की दर भी काफी कम हैं आंकड़ों से स्पष्ट है कि 66 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 39 महिलाएं ही शिक्षित हैं। संविधान में इतने नियम व कानून होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार तो हुआ है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। जिसके पीछे मुख्य कारण है अधिकतर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों के बारे में पर्याप्त ज्ञान का न होना। अतः महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी भागीदारी प्रयास करने होंगे तथा अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना होगा। इन सामुहिक प्रयासों से ही महिलाओं को सम्मानीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी।

सन्दर्भ

1. <https://kanoonmitra.com>
- 2- www.bhaskar.com
- 3- www.socialscienceyoumal.In
4. भारतीय संविधान डॉ. एम.वी. पाथली, यूनाइटेड बुक हाउस, दिल्ली 1977
5. भारतीय संविधान एम.पी. राय, कालेज बुक डिपो जयपुर, 1984
6. कटियार श्रद्धा, (2005) समेकित बाल विकास योजना मूल्यांकन, सीरियल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. एम.पी. सिंह (2006) नारीशक्तिकरण, ग्रन्थ, पब्लिकेशन, हाउस, जयपुर
8. सिंह दिव्या (2007) महिला विकास कार्यक्रम, लोक प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय
9. शर्मा एवं मिश्रा (2016) मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार, बुक डिपो (जयपुर)